vodk'k ;k=k lqfo/kk fu;e

vgZrk %&

- पूर्णकालिक सरकारी सेवक को यह सुविधा भारत में स्थिति किसी भी स्थान के सपरिवार भ्रमण हेतु अनुमान्य है।
- यह सुविधा 5 वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रत्येक 10 वर्ष में 01 पूरी सेवाकाल में कुल 3 बार अनुमान्य है।
- सीमित परिवार योजना के अधीन यह सुविधा पूरी सेवा काल में उक्त तीन अवसरों के अतिरिक्त चौथी बार देय है।
- यरि पति पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा में हैं और उन्हें उक्त सुविधा अनुमान्य हो तो उस स्थिति में यह सुविधा पति या पत्नी में से किसी एक को अनुमान्य होगी।
- जिनके पति अथवा पत्नी(यथास्थिति) रेलवे में कार्यरत हैं, को अवकाश यात्रा सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

lhek,a %&

- किसी कलेन्डर वर्ष में किसी संवर्ग में इस सुविधा के लिये पात्र सरकारी सेवकों में से 20 प्रतिशत से अधिक सरकारी सेवकों को यह सुविधा स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।
- यह सुविधा सरकारी सेवक को सम्मिलित करते हुए परिवार के केवल चार सदस्यों तक ही सीमित रहेगी।
- परिवार का तात्पर्य सरकारी सेवक की यथास्थिति पत्नी अथवा पति, वैध संतान और आश्रित मात–पिता, अवयस्क बहनें और भाई से है, किन्तु एक से अधिक पत्नी अर्ह नहीं है।
- अवकाश यात्रा सुविध के उपभोग के लिये सरकारी सेवक को न्यूनतम् 15 दिन के अर्जित अवकाश का उपभोग करना अनिवार्य होगा।
- यह सुविधा भारत में किसी भी स्थान को जाने–आने के लिए न्यूनतम् दूरी वाले रास्ते के आधार पर अनुमन्य होगी।

vodk'k ;k= lqfo/kk vfxze lEcU/kh izkfo/kku %&

- इस सुविधा हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। अग्रिम की धनराशि यात्रा में जाने–आने दोनो तरफ के वास्तविक किराये का 4/5 भाग तक स्वीकृत किया जा सकता है।
- यदि यात्रा अवकाश की अवधि 3 माह या 90 दिन से अधिक है तब उक्त अग्रिम गन्तव्य स्थान तक जाने के लिये ही अनुमान्य होगा।
- अस्थाई सरकारी सेवक को अग्रिम एक स्थाई सेवक की जमानत देने पर स्वीकृत किया जायेगा।
- अग्रिम की स्वीकृत की 30 दिन के अन्दर यदि यात्रा आरम्भ नहीं की जाती है तो लिया गया अग्रिम एकमुत वापस राजकोश में जमा किया जायेगा।
- अग्रिम के सामायोजन हेतु दावा वापसी के एक माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा और चालू वित्तीय वर्ष में इसका समायोजन किया जाना होगा।